

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

राज्य कर (जीएसटी) विभाग

3 “वस्तु एवं सेवा कर भुगतान एवं विवरणियों के दाखिल करने पर विभाग की निगरानी चरण-II” पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

3.1 प्रस्तावना

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रारम्भ ने केंद्र एवं राज्यों द्वारा आरोपित एवं संग्रहित किए जाने वाले कई करों को प्रतिस्थापित कर दिया है। वस्तु एवं सेवा कर जो 01 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ, एक गंतव्य आधारित उपभोग कर है जो वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर की गई प्रत्येक मूल्य वृद्धि पर आरोपित किया जाता है। केंद्र एवं राज्य एक ही कर आधार पर एक साथ जीएसटी आरोपित करते हैं। केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी)/केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) राज्यांतर्गत आपूर्ति पर आरोपित किया जाता है एवं अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) आरोपित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी) अधिनियम 2017, की धारा 59, जीएसटी को स्व-निर्धारण आधारित कर के रूप में निर्धारित करती है जहां पर कर देयता की गणना और गणना किए गए कर की देयता का निर्वहन एवं विवरणी दाखिल करने की जिम्मेदारी करदाता पर होती है। जीएसटी विवरणी को सामान्य जीएसटी पोर्टल पर नियमित रूप से ऑनलाइन दाखिल करना अनिवार्य है, असफल रहने पर उचित प्रक्रियानुसार शास्ति देय होगा। यदि किसी विशेष कर अवधि के दौरान व्यवसाय की कोई भी कर देयता नहीं होने पर भी उसे अनिवार्य रूप से शून्य विवरणी दाखिल करना होगा। इसके अलावा सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 61 सह-पठित सीजीजीएसटी नियम 2017, के नियम 99, यह निर्धारित करती है कि उचित अधिकारी, करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणी एवं संबन्धित जानकारियों की जाँच कर सकता है, जाँच में पायी गई विसंगतियों के बारे में करदाताओं को सूचित कर सकता है एवं स्पष्टीकरण मांग सकता है।

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा इस नए कर व्यवस्था में कर अनुपालन के लिए निर्धारित नियंत्रण तंत्र और राज्य कर विभाग छत्तीसगढ़ के निरीक्षण तंत्र के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए की गई।

3.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य कर विभाग के सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार में छत्तीसगढ़ राज्य कर विभाग के समग्र प्रभारी हैं। विभाग राज्य में जीएसटी के साथ साथ छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम¹ (वैट) का प्रशासन करता है जो मुख्यालय स्तर पर राज्य कर आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, मण्डल स्तर पर विशेष आयुक्त, संयुक्त आयुक्त एवं उपायुक्त और वृत्त स्तर पर राज्य कर सहायक आयुक्त, राज्य कर अधिकारी एवं अन्य सहायक कर्मचारी के समग्र नियंत्रण में है।

¹ कुछ निश्चित वस्तुओं जैसे पेट्रोलियम उत्पाद पर वैट अभी भी लागू है।

3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

‘जीएसटी भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी’ का लेखापरीक्षण निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ किया गया ताकि इस पर आश्वासन दिया जा सके कि:

- (i) क्या करदाताओं द्वारा नियमों और प्रक्रियाओं का विधिवत पालन किया जा रहा था; और
- (ii) क्या वृत्तों में की जानेवाली जाँच प्रक्रियाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा एवं अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त एवं प्रभावी थे।

3.4 लेखापरीक्षा पद्धति एवं कार्यक्षेत्र

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण के आधार पर संपादित की गई थी जिसमें अप्रैल 2018 से मार्च 2021 की अवधि से संबंधित जोखिम क्षेत्रों एवं, संभावित खतरों पर प्रकाश डाला गया था। डेटा विश्लेषण के माध्यम से इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी), करदेयता का निर्वहन, पंजीकरण एवं विवरणी दाखिल के कार्यक्षेत्र में 17 विचलनों के एक समूह की पहचान की गई थी। ऐसे विचलनों की जाँच एक केंद्रीकृत लेखापरीक्षा² (सीमित लेखापरीक्षा) के माध्यम से की गई जिसके अंतर्गत इन विचलनों को संबंधित राज्य कर विभागीय क्षेत्र संरचनाओं यानी वृत्तों को सूचित किया गया तथा पहचाने गए विचलनों पर क्षेत्राधिकार संरचनाओं द्वारा की गई कार्यवाही का पता लेखापरीक्षा द्वारा क्षेत्रीय दौरे किए बिना ही लगाया गया। केंद्रीकृत लेखापरीक्षा (सीमित लेखापरीक्षा) को विस्तृत लेखापरीक्षा से भी पूर्ण किया गया, जिसमें क्षेत्राधिकार क्षेत्र संरचनाओं के पास उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के लिए क्षेत्रीय दौरे भी किए गए। करदाताओं से संबंधित डेटा/दस्तावेजों (जैसे पंजीकरण, कर भुगतान, विवरणी और अन्य विभागीय कार्य) की जाँच करने के लिए विवरणी से संबंधित जानकारी को राज्य कर विभाग के जीएसटीएन पोर्टल एप्लीकेसन बैक एंड सिस्टम (बीओवेब) के माध्यम से एक्सेस यथासंभव प्राप्त किया गया। विस्तृत लेखापरीक्षा में संबंधित क्षेत्रीय संरचनाओं के माध्यम से करदाताओं से संबंधित ग्रेनुलर अभिलेख (जैसे बीजक, विविध लेनदार/देनदार का विवरण, वित्तीय अभिलेख आदि) तक पहुंचना भी शामिल था। इसके अलावा चयनित वृत्तों में वृत्तों के अनुपालन कार्य जैसे विवरणियों की जाँच की भी समीक्षा की गई।

विभाग द्वारा विवरणियों की जाँच एवं करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन की समीक्षा के लिए अप्रैल 2018 से मार्च 2021 तक की अवधि को आच्छादित किया गया जबकि चयनित वृत्तों के कार्यों की लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2020–21 तक की अवधि को आच्छादित किया गया।

प्रारम्भ में, सचिव, राज्य कर विभाग छत्तीसगढ़ के साथ दिनांक 19 जून 2023 को एक अंतर्गमन सम्मेलन आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और नमूना चयन प्रक्रिया एवं लेखापरीक्षा नमूना पर चर्चा की गई। इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रत्येक लेखापरीक्षा कार्य की शुरुआत में एक अंतर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया तथा समापन में एक बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया। दिनांक 06 मई 2025 को बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित की गई जिसमें सचिव, राज्य कर विभाग, शामिल हुए। इस विषय केन्द्रीत अनुपालन लेखापरीक्षा का प्रारूप प्रतिवेदन 17 दिसम्बर 2024 को विभाग को अग्रेषित किया गया था। विभाग का उत्तर 30 मई 2025 को प्राप्त हुआ जिसे संबंधित कंडिकाओं में उचित रूप से शामिल किया गया।

² केंद्रीकृत लेखापरीक्षा में करदाताओं के ग्रेनुलर अभिलेख जैसे कि उनके खाता पुस्तकों से संबंधित वित्तीय विवरण, बीजक, अनुबंध आदि शामिल नहीं थे।

3.5 लेखापरीक्षा नमूना

वास्तविक लेखापरीक्षा की प्रकृति एवं इसकी सीमा का निर्धारण करने हेतु योजना बनाने के लिए एक डेटा संचालित दृष्टिकोण अपनाया गया था।

इस विषय केन्द्रीत अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रमुख तीन भाग निम्नानुसार थे:

(i) भाग I:— वृत्तों की लेखापरीक्षा

इस लेखापरीक्षा के अंतर्गत वृत्तों के निरीक्षण कार्यों के मूल्यांकन के लिए ऐसे दस वृत्तों का नमूना लिया गया था जिनमें वृत्तों के अधिकार क्षेत्र में विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए एक से अधिक प्रकरण चयनित किए गए थे।

(ii) भाग II:— केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा

विभाग की जाँच प्रक्रिया की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से नियमों और विवरणियों के मध्य उच्च मूल्य अथवा उच्च जोखिम वाले विसंगतियों की पहचान करके केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा के लिए नमूना चुना गया। तदनुसार, इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के तहत केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए 366 करदाताओं (641 प्रकरणों) का चयन किया गया था।

(iii) भाग III:— विस्तृत लेखापरीक्षा

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं के नमूने का चयन जोखिम मापदण्डों जैसे अधिक आईटीसी, कर देयता में अंतर, छूट-प्राप्त टर्नओवर का कुल टर्नओवर से गैरानुपातिक होना और अनियमित आईटीसी वापसी एवं अदा न की गई कर देयता के आधार पर किया गया था। 70 करदाता⁴ जो इस लेखापरीक्षा के लिए चयनित 22 वृत्तों⁵ से संबन्धित हैं, में 90 प्रतिशत बड़े, मध्यम एवं छोटे कर का भुगतान किए बिना आईटीसी लिए हुए, आईटीसी में भिन्नता वाले, आईटीसी अनुपात, अविनिर्वाहित कर देयता वाले एवं 10 प्रतिशत यादृच्छिक स्तर के करदाता शामिल थे।

इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु वृत्तों की लेखापरीक्षा, केंद्रीकृत लेखापरीक्षा और विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित नमूनों का विस्तृत विवरण *परिशिष्ट-3.1 एवं 3.1(ए) से 3.1(सी)* में दिया गया है।

3.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोतों सीजीजीएसटी अधिनियम और आईजीएसटी अधिनियम तथा इन अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों में सन्निहित थे। महत्वपूर्ण प्रावधान *तालिका 3.1* में दिए गए हैं।

³ स.आ. वृत्त-1, बिलासपुर, स.आ. वृत्त-2, बिलासपुर, स.आ. वृत्त-1, दुर्ग, स.आ. वृत्त-3, दुर्ग, स.आ. वृत्त-4, दुर्ग, स.आ. वृत्त-1, रायगढ़, स.आ. वृत्त-1, रायपुर, स.आ. वृत्त-4, रायपुर, स.आ. वृत्त-5, रायपुर, स.आ. वृत्त-8, रायपुर।

⁴ बड़े करदाता-20, मध्यम करदाता-10, छोटे करदाता-05, कर अदा किए बिना आईटीसी का लाभ-08, आईटीसी में असंगती-08, आईटीसी अनुपात-08, अवियुक्त कर देयता-04 एवं यादृच्छिक-07=70 करदाता।

⁵ स.आ. वृत्त-अम्बिकापुर, स.आ. वृत्त-1, बिलासपुर, स.आ. वृत्त-2, बिलासपुर, स.आ. वृत्त-3, बिलासपुर, स.आ. वृत्त-1, दुर्ग, स.आ. वृत्त-2, दुर्ग, स.आ. वृत्त-3, दुर्ग, स.आ. वृत्त-4, दुर्ग, स.आ. वृत्त-2, जगदलपुर, स.आ. वृत्त- जाजगीर, स.आ. वृत्त-2, कोरबा, स.आ. वृत्त-1, रायगढ़, स.आ. वृत्त-2, रायगढ़, स.आ. वृत्त-1, रायपुर, स.आ. वृत्त-2, रायपुर, स.आ. वृत्त-3, रायपुर, स.आ. वृत्त-4, रायपुर, स.आ. वृत्त-5, रायपुर, स.आ. वृत्त-6, रायपुर, स.आ. वृत्त-7, रायपुर, स.आ. वृत्त-8, रायपुर, स.आ. वृत्त-9, रायपुर।

तलिका 3.1—मानदंड का स्रोत

स. क्र.	विषय	अधिनियम और नियम
1.	आरोपण एवं संग्रहण	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9
2.	रिवर्स चार्ज मैकानिज्म	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(3)
3.	आईटीसी का लाभ उठाना एवं उपयोग करना	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 से 21 सीजीजीएसटी नियम, 2017 के तहत नियम 36 से 45
4.	पंजीकरण	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 22 से 25 सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 8 से 26
5.	आपूर्तियां	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7 एवं 8 सीजीजीएसटी नियम, अधिनियम, 2017 की अनुसूची 1, 2 और 3
6.	आपूर्ति का स्थान	आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10 से 13
7.	आपूर्ति का समय	सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 12 से 14
8.	आपूर्ति का मूल्यांकन	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 15 सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 27 से 35
9.	कर का भुगतान	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अध्याय 10 के तहत धारा 49 से 53 सीजीजीएसटी नियम, 2017 के अध्याय 9 के तहत नियम 85 से 88अ
10.	जीएसटी विवरणियों का दाखिला	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अध्याय 9 के तहत धारा 37 से 47 सीजीजीएसटी नियम, 2017 के अध्याय 8 के तहत नियम 59 से 68 तथा 80 सीजीजीएसटी नियम के भाग बी विवरणियों के निर्धारित प्रारूप
11.	शून्य-दर आपूर्ति	आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16
12.	निर्धारण एवं लेखापरीक्षा कार्य	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अध्याय 12 और 13 के तहत धाराएँ 59, 60, 61, 62, 65 और 66 सीजीजीएसटी नियम, 2017 के अध्याय 11 के तहत नियम 99 से 102

इसके अलावा जो विवरणियों को दाखिल करने, विभिन्न प्रकार की विवरणियों के दाखिल करने की प्रभावी तिथियों को अधिसूचित करने, विवरणियों के दाखिल करने की नियत तिथि को बढ़ाने, वस्तु एवं सेवाओं पर कर की दरें, कर का भुगतान, आईटीसी का लाभ उठाने एवं उपयोग करने, विवरणियों की जाँच एवं कर अनुपालन की निगरानी से संबन्धित केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)/राज्य कर विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएँ एवं परिपत्र और मानक संचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी)⁶ एवं परिपत्र⁷ जिनमें विभागीय अधिकारियों के लिए विभिन्न पहलुओं से संबन्धित जैसे विवरणियों को दाखिल करना, विवरणियों की जाँच एवं पंजीयन रद्द करना इत्यादि से संबन्धित निर्देश भी लेखापरीक्षा मानदंड के भाग थे।

3.7 लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा परिणामों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- विवरणियों के दाखिले पर निगरानी-वृत्तों की लेखापरीक्षा
- केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा
- विस्तृत लेखापरीक्षा

⁶ आदेश संख्या/वाणिज्यिक/टेक/832/2022/8726 दिनांक 30.09.2022।

⁷ संख्या/129/48/2019-जीएसटी दिनांक 24 दिसम्बर 2019।

3.8 विवरणियों के दाखिले पर निगरानी-वृत्तों की लेखापरीक्षा

विवरणी एक निर्धारित अवधि के दौरान करदाता द्वारा की गई व्यावसायिक गतिविधियों से संबन्धित विशिष्ट विवरणों का एक कथन है। प्रत्येक करदाता कानूनी रूप से एक निश्चित अवधि के लिए कर देयता के दौरान एक पूर्ण एवं सही और निर्धारित समय में भुगतान किए गए करों की विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। स्व-मूल्यांकन व्यवस्था में करदाताओं द्वारा विवरणियों की निगरानी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि विवरणी ही करदाताओं एवं उनकी संबन्धित व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में जानकारी का पहला तरीका है। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3बी के दाखिले का समग्र रुझान निम्न प्रकार है:

तलिका 3.2—जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी का विवरणी दाखिल करने का रुझान

वित्तीय वर्ष	दाखिल की गई विवरणियों की संख्या		नियत तिथि तक दाखिल की गई विवरणियों की संख्या		नियत तिथि के बाद दाखिल की गई विवरणियों की संख्या		कुल दाखिल की गई विवरणियों की संख्या		दाखिला (प्रतिशत)		दाखिल की गई विवरणियों (प्रतिशत) के आधार पर नियत तिथि तक दाखिल करने वाले	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	जीएसटी आर 3बी	जीएसटी आर 1	जीएसटी आर 3बी	जीएसटी आर 1	जीएसटी आर 3बी	जीएसटी आर 1	जीएसटी आर 3बी	जीएसटी आर 1	जीएसटी आर 3बी	जीएसटी आर 1	जीएसटी आर 3बी	जीएसटी आर 1
2018-19	13,16,067	13,16,067	5,29,974	1	5,61,083	13,455	10,91,057	13,456	82.90	1.02	48.57	0.01
2019-20	13,90,985	13,90,985	5,82,746	3	5,90,463	43,603	11,73,209	43,606	84.34	3.13	49.67	0.01
2020-21	15,47,121	15,47,121	3,80,735	69,207	6,94,096	4,68,443	10,74,831	5,37,650	69.47	34.75	35.42	12.87

(स्रोत: राज्य कर विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

उपरोक्त आकड़ों से यह देखा जा सकता है कि जीएसटीआर 3बी विवरणी का दाखिला 2018-19 में 82.90 प्रतिशत से कम होकर 2020-21 में 69.47 प्रतिशत रह गया जबकि जीएसटीआर1 विवरणी का दाखिला 2018-19 में 01.02 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 34.75 प्रतिशत हो गया। इस अवधि में जीएसटीआर1 की उपलब्धता लेकिन जीएसटीआर 3बी के दाखिले की घटती प्रवृत्ति इंगित करती है कि करदाताओं ने व्यवसाय तो किया था परन्तु कर देयता का निर्वहन नहीं किया था जो कर के भुगतान में हुई चूक में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है।

इसके अलावा नियत तिथि तक विवरणियों का दाखिला बहुत कम हुआ है। नियत तिथि तक जीएसटीआर 3बी विवरणी का दाखिला 2018-19 में 48.57 प्रतिशत से कम होकर 2020-21 में 35.42 प्रतिशत रह गया जबकि नियत तिथि तक जीएसटीआर 1 विवरणी का दाखिला 2018-19 में 0.01 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 12.87 प्रतिशत हो गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने (मई 2025) पर विभाग ने (जून 2025) कहा कि कोविड-19 और सहायता के लिए सीए/वकीलों की अनुपलब्धता के कारण जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 1 के दाखिले में कमी आई।

3.8.1 विलंब से विवरणी दाखिल करने वालों और दाखिल नहीं करने वालों पर कार्यवाई का अभाव

विवरणियों का दाखिला, कर के भुगतान से संबन्धित है क्योंकि दोनों ही कार्यों की नियत तिथि समान होती है, जिसका अर्थ है कि विवरणी दाखिल नहीं करने वालों के प्रकरण में कर/दंड का भुगतान नहीं करने का जोखिम रहता है।

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 46 सह-पठित सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 68 में यह प्रावधान है कि यदि कोई करदाता नियत तिथि के अंदर विवरणी फाइल करने में विफल हुआ तो उसे जीएसटीआर 3ए में एक नोटिस जारी की जाती है जिसमें उसे 15 दिनों के अंदर विवरणी दाखिल करना होता है। यदि करदाता जीएसटीआर 3ए के जारी होने के 15 दिनों के अंदर विवरणी दाखिल करने में विफल रहता है तो उचित अधिकारी उस समय उपलब्ध या एकत्र किए गए सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करदाता के कर की देयता का निर्धारण अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कर सकता है और प्रारूप एएसएमटी 13 में कर निर्धारण आदेश जारी कर सकता है।

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक करदाता जो इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, परंतु निर्धारित अवधि के दौरान सरकार को कर या उसके कुछ भाग का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह उस समयावधि के लिए जिसके लिए कर या उसके कुछ भाग का भुगतान नहीं किया है, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 10 वृत्त कार्यालयों में से दो वृत्त कार्यालयों स०आ०, वृत्त-4, दुर्ग एवं स०आ०, वृत्त-8, रायपुर ने 2020-21 के दौरान विवरणी दाखिल नहीं करने वालों अथवा विवरणी विलंब से दाखिल करने वालों से संबन्धित कोई भी जानकारी प्रदान नहीं की।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि चयनित 10 वृत्त कार्यालयों में से शेष आठ⁸ में 2020-21 के दौरान 3,543, करदाताओं से संबन्धित विवरणी दाखिल नहीं करने वाले/देर से दाखिल करने वाले 3,648 प्रकरणों की पहचान की गई थी तथा उन सभी प्रकरणों में दाखिल नहीं/देर से दाखिल करने वालों को जीएसटीआर 3ए नोटिस जारी किया गया था। जीएसटीआर 3ए नोटिसों के जवाब में 3,648 प्रकरणों में से 2,825 प्रकरणों (77.44 प्रतिशत) में विवरणी दाखिल नहीं करने वाले/देर से दाखिल करने वाले करदाताओं ने विवरणी दाखिल कर दिया। विभाग ने शेष 823 प्रकरणों में से 643 प्रकरणों (78.13 प्रतिशत) में सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कर निर्धारण (एएसएमटी 13) शुरू करते हुए ₹ 87.76 करोड़ की राशि का आकलन किया जिसमें से ₹ 72.13 करोड़ की राशि की वसूली की गई। 643 प्रकरणों में एएसएमटी 13 की कार्यवाही वापस ले ली गई क्योंकि संबन्धित करदाताओं द्वारा विवरणी दाखिल कर दी गई थी तथा कर की राशि ₹ 72.13 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज की राशि ₹ 0.70 करोड़ एवं विलंब शुल्क की राशि ₹ 1.81 लाख का भुगतान कर दिया गया था तथा शेष पाँच प्रकरणों में विभाग द्वारा अंतरिम कुर्की का सहारा लिया गया शेष (823 घटाव 648) 175 प्रकरणों में एएसएमटी 13 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वृत्तानुसार विस्तृत विवरण (परिशिष्ट 3.2) में दर्शाया गया है।

आगे लेखापरीक्षा ने 2,825 प्रकरणों में से 750 (यादृच्छिक आधार पर चयनित) प्रकरणों की नमूना जाँच की (जनवरी 2024 से जून 2024) जिनमें करदाताओं ने विलंब से विवरणियाँ दाखिल की और चार⁹ वृत्तों के 750 प्रकरणों में से 345 प्रकरणों में देखा गया कि सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 के अनुसार करों के विलंबित भुगतान के लिए करों की शुद्ध देयता पर ₹ 1.27 करोड़ ब्याज की राशि का भुगतान न तो संबन्धित करदाताओं द्वारा किया गया और न ही वृत्त अधिकारियों द्वारा इसे अधिरोपित किया गया (परिशिष्ट 3.3)।

⁸ स.आ. वृत्त-1, बिलासपुर, स.आ. वृत्त-2, बिलासपुर, स.आ. वृत्त-1, दुर्ग, स.आ. वृत्त-3, दुर्ग, स.आ. वृत्त-1, रायगढ़, स.आ. वृत्त-1, रायपुर, स.आ. वृत्त-4, रायपुर, स.आ. वृत्त-5, रायपुर,।

⁹ स.आ. वृत्त-3, दुर्ग, स.आ. वृत्त-1, रायगढ़, स.आ. वृत्त-1, रायपुर, और स.आ. वृत्त-5, रायपुर।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने (मई 2025) कहा कि 258 प्रकरणों में ₹ 0.73 करोड़ की वसूली कर ली गई है, 46 प्रकरणों में ₹ 10.33 लाख की वसूली हेतु उचित कार्यवाही करते हुए कारण बताओ नोटिस (एससीएन)/माँग आदेश/अंतिम कुर्की की नोटिस डीआरसी 01/डीआरसी 07¹⁰/डीआरसी 13¹¹ जारी कर दी गई है। 20 प्रकरणों में ब्याज की देयता अधिसूचना संख्या 51/2020 दिनांक 24 जून 2020 द्वारा विवरणियों के दाखिले की समय सीमा को बढ़ाने के कारण नहीं आती है। इस प्रकार, कुल प्रकरण एवं वसूली योग्य ब्याज की पुनः गणना की गई जो क्रमशः 325 प्रकरण एवं राशि ₹ 1.13 करोड़ है।

विभाग के उत्तर का पुनः आकलन करने पर जिन 20 प्रकरणों में विवरणियों के दाखिले की समय सीमा बढ़ा दी गई, को शामिल नहीं किया गया, स्वीकार योग्य है। अन्य 21 प्रकरणों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2025)।

3.8.2 विवरणियों की संवीक्षा की क्रियाविधि

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अनुसार विवरणियों की सत्यता की पुष्टि हेतु करदाताओं द्वारा दाखिल विभिन्न विवरणियों की जाँच उचित अधिकारी द्वारा किया जाना है और विवरणियों में परिलक्षित विसंगतियों या अनियमितताओं पर उपयुक्त कार्यवाई की जानी है। इस उद्देश्य के लिए नामित उचित अधिकारी वृत्त क्षेत्राधिकार के प्रभारी राज्य कर अधिकारी हैं। इसके अलावा सीजीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 99 अध्यादेशित करता है कि यदि कोई विसंगतियाँ संज्ञान में आती हैं तो करदाता को स्पष्टीकरण हेतु सूचित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने चयनित 10 वृत्त कार्यालयों में से शेष आठ¹² में 2020-21 के दौरान पाया कि कुल 11,975 करदाताओं के 41,285 विवरणियों की समीक्षा की गई। वृत्त अधिकारियों के द्वारा 4,558 करदाताओं से संबन्धित विसंगतियाँ गौर की गईं। विभाग ने उन सभी 4,558 प्रकरणों में विसंगतियों को सूचित करते हुए एएसएमटी10 नोटिस जारी किया था। इन नोटिसों के जवाब में 825 प्रकरणों (18.10 प्रतिशत) में संबन्धित करदाताओं ने विसंगतियों को स्वीकार कर लिया था और कर की राशि ₹ 6.75 करोड़ का भुगतान किया था। इसके अलावा इस अवधि के दौरान 3,733 प्रकरणों में एससीएन जारी किए गए थे जिनमें से 1,622 प्रकरणों (43.45 प्रतिशत) में निर्धारण पूरा हो गया था जिसमें ₹ 166.36 करोड़ की राशि वसूली योग्य थी जिसमें से ₹ 59.97 करोड़ की राशि की वसूली की गई थी। शेष 2,111 प्रकरणों में वसूली की कार्यवाई जारी है। आठ वृत्त कार्यालयों में एएसएमटी10/एससीएन कर विवरण एवं स्वीकृति की स्थिति और करदाताओं से वसूली का व्यौरा **परिशिष्ट 3.4** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि 58 प्रकरणों में ₹ 2.57 करोड़ की वसूली की जा चुकी है, 31 प्रकरणों में आंशिक रूप से ₹ 0.67 करोड़ की राशि का समायोजन किया जा चुका है, 52 प्रकरणों में (31 प्रकरणों को सम्मिलित करते हुए) डीआरसी 13 जारी किया जा चुका है, 56 प्रकरणों में एससीएन जारी किए जा चुके हैं और 247 प्रकरणों में वसूली की माँग हेतु आवश्यक कार्यवाई की जा चुकी है। हालांकि, 1,698¹³ प्रकरणों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित (जून 2025) है।

¹⁰ डीआरसी-07 एएसएमटी-13 के पश्चात वसूली आदेश का सारांश।

¹¹ डीआरसी-13 सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 79(1)(सी) के तहत किसी चूककर्ता से देय कर की वसूली के लिए वृत्त अधिकारी द्वारा जारी अन्य व्यक्ति (बैंक) को नोटिस।

¹² स.आ. वृत्त-2, बिलासपुर, स.आ. वृत्त-1, दुर्ग, स.आ. वृत्त-4, दुर्ग, स.आ. वृत्त-1, रायगढ़, स.आ. वृत्त-1, रायपुर, स.आ. वृत्त-4, रायपुर, स.आ. वृत्त-5, रायपुर और स.आ. वृत्त-8, रायपुर।

¹³ 2111 प्रकरण-58 प्रकरण, वसूली की गई-52 प्रकरण, डीआरसी-13 जारी-56 प्रकरण, एससीएन जारी-247 प्रकरण, वसूली की माँग=1698 प्रकरण।

3.8.3 पंजीयन रद्द करना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 29 सह-पठित सीजीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 20 करदाता को कुछ परिस्थितियों जैसे व्यवसाय को बंद करना, पंजीकरण के लिए टर्नओवर का निर्धारित सीमा से नीचे आना, कारोबार का स्थानांतरण/विलय/संयोजन, पैन में परिवर्तन, निर्धारित समयावधि में व्यवसाय शुरू न करना और मालिक की मृत्यु, में पंजीयन रद्द कराने की अनुमति देता है। पंजीयन रद्द करने के लिए आवेदन करने वालों को "पंजीयन रद्द करने की आवश्यकता वाली घटना" के घटित होने पर" जीएसटी कॉमन पोर्टल पर आरईजी 16 में 30 दिनों की अवधि में पंजीयन रद्द करने का आवेदन करना चाहिए।

आगे उक्त अधिनियम की धारा 29(2), करदाताओं द्वारा अधिनियमों या नियमों के उल्लंघन, कोम्पोजीसन करदाताओं द्वारा लगातार तीन कर अवधि की विवरणियों का दाखिल नहीं करना, सामान्य करदाताओं द्वारा लगातार छह महीने की विवरणियों का दाखिल नहीं करना, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पंजीयन के दिनांक से छह महीने के अंदर व्यवसाय शुरू नहीं करना और धोखाधड़ी के माध्यम से या जानबूझकर गलत विवरण देकर अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त पंजीयन, आदि जैसे प्रकरणों के आधार पर वृत्त अधिकारियों को करदाताओं के पंजीयनों को स्वतः रद्द करने की अनुमति देती है।

लेखापरीक्षा ने पंजीयन रद्द करने में कमियाँ पाईं जिनकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में गई है।

(अ) जीएसटीआर 10 दाखिल नहीं करने वालों पर अपर्याप्त कार्यवाही

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 45 के अनुसार पंजीयन रद्द होने की प्रभावी तिथि अथवा पंजीयन रद्द करने के आदेश की तिथि जो भी बाद में हो, से तीन महीने के अंदर अंतिम विवरणी (जीएसटीआर 10) दाखिल किया जाना है।

परिपत्र सं 129/48/2019-जीएसटी, दिनांक 24 दिसंबर 2019 के अनुसार, करदाता जिसने जीएसटीआर 10 दाखिल नहीं किया है, को जीएसटीआर 3ए नोटिस जारी किया जाना है। इसके बाद भी यदि करदाता नोटिस (जीएसटीआर 3ए) की प्राप्ति से 15 दिनों के अंदर अंतिम विवरणी दाखिल करने में विफल रहता है तो करदाता की कर देयता का निर्धारण करने के लिए सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 62 सह-पठित सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 100 के तहत निर्धारण आदेश प्रारूप एसएमटी 13 में जारी करना होगा। अगर करदाता एसएमटी 13 आदेश जारी होने के 30 दिनों के अंदर अंतिम विवरणी दाखिल कर देता है तो उक्त आदेश वापस ले लिए गया माना जाएगा। हालांकि ब्याज और विलंब शुल्क के भुगतान की देयता फिर भी जारी रहेगी। यदि एसएमटी 13 आदेश जारी होने से 30 दिनों की वैधानिक अवधि के अंदर अंतिम विवरणी दाखिल नहीं की जाती है तो उचित अधिकारी अधिनियम की धारा 78 के तहत कार्यवाही शुरू कर सकता है एवं अधिनियम की धारा 79 के तहत वसूली कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने (जनवरी 2024 से जून 2024 के दौरान) चयनित 10 वृत्त कार्यालयों में से नौ¹⁴ में यह पाया कि 2,637 प्रकरणों में आरईजी-19 (पंजीयन रद्द करने के आदेश) जारी किए गए थे जिनमें 558 (21.16 प्रतिशत) प्रकरणों में करदाताओं ने जीएसटीआर 10 दाखिल कर दिया है, 34 (1.29 प्रतिशत) प्रकरणों में निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार निर्धारण शुरू किया गया तथा पूरा किया गया, 166 (6.30 प्रतिशत) प्रकरणों में पंजीयन रद्द करने के आदेश को निरस्त किया गया। शेष 1,879 (71.25

¹⁴ स.आ. वृत्त-1, बिलासपुर, स.आ. वृत्त-2, बिलासपुर, स.आ. वृत्त-1, दुर्ग, स.आ. वृत्त-4, दुर्ग, स.आ. वृत्त-1, रायगढ़, स.आ. वृत्त-1, रायपुर, स.आ. वृत्त-4, रायपुर, स.आ. वृत्त-5, रायपुर और स.आ. वृत्त-8, रायपुर।

प्रतिशत) पंजीयन रद्द किए हुए प्रकरणों में करदाताओं द्वारा जीएसटीआर 10 फाइल नहीं किया गया और सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 62 के अनुसार निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार निर्धारण शुरू भी नहीं किया गया। वृत्तानुसार विवरण **परिशिष्ट 3.5** में दिया गया है।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)।

(ब) पंजीयन रद्द करने में विलंब

करदाता के पंजीयन रद्द करने हेतु दिए हुए आवेदन की तिथि से या स्वतः संज्ञान लेकर पंजीयन रद्द करने के प्रकरण में आरइजी 17 के उत्तर की तिथि से 30 दिनों के अंदर प्रारूप आरइजी 19 में पंजीयन रद्द करने का आदेश जारी किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने चयनित 10 वृत्त कार्यालयों में से चार¹⁵ में पाया कि 1,192 प्रकरणों में से 447 (37.50 प्रतिशत) प्रकरणों में करदाताओं के अनुरोध पर पंजीयन रद्द करने का आदेश एक दिन से लेकर 874 दिनों के विलंब से जारी किया गया था। विलंब से पंजीयन रद्द करने से सरकारी खाते में कर, शास्ति एवं ब्याज के विलंब से वसूल हुआ (**परिशिष्ट 3.6**)।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024 से जून 2024 के दौरान) विभाग ने उत्तर (मई 2025) दिया कि 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी, और जीएसटी पोर्टल में तकनीकी समस्या के कारण नियत समय पर पंजीयन रद्द करने का आदेश जारी नहीं हो सका। इसके अलावा विभाग द्वारा यह भी कहा गया कि करदाताओं ने पंजीयन रद्द करने के आवेदन में स्टॉक शून्य दिखाया था परंतु उनके क्रेडिट लेजर में आईटीसी उपलब्ध था और विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करते हुए कि करदाता के क्रेडिट लेजर में कोई भी आईटीसी उपलब्ध न हो, पंजीयन रद्द करने का आदेश, जारी किया गया।

अनुशंसा क्रमांक 1: विभाग अविनिर्वाहित कर देयता की जाँच हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंजीयन रद्द करने और उसपर की गई कार्यवाई की स्थिति की निगरानी कर सकता है।

3.8.4 जनशक्ति प्रबंधन

विभाग की कुशल कार्यप्रणाली के लिए, इसके उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उचित जनशक्ति की योजना और उनका उचित परिनियोजन आवश्यक है।

2018-19 से 2020-21 के दौरान राज्य कर विभाग में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी (उपायुक्त, सहायक आयुक्त, राज्य कर अधिकारी/सहायक राज्य कर अधिकारी) और अन्य सहायक कर्मचारी (अधीक्षक/कर सहायक आदि) से संबन्धित स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण **तालिका 3.3** में दिया गया है।

तालिका 3.3—स्वीकृत पदों की संख्या और कार्यरत पदों का विवरण

वर्ष	पदों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	खाली पदों की संख्या	खाली पदों की संख्या का प्रतिशत
2018-19	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी	236	119	117	49.58
	सहायक कर्मचारी	1,627	1,175	452	27.78
2019-20	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी	236	109	127	53.81
	सहायक कर्मचारी	1,627	1,138	489	30.05
2020-21	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी	236	107	129	54.66
	सहायक कर्मचारी	1,627	1,138	489	30.05

(स्रोत: राज्य कर विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

¹⁵ स.आ. वृत्त-1, बिलासपुर, स.आ. वृत्त-2, बिलासपुर, स.आ. वृत्त-1, दुर्ग और स.आ. वृत्त-8, रायपुर।

इस प्रकार, 2018-19 से 2020-21 के दौरान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी से संबन्धित खाली पद 49.58 प्रतिशत से 54.66 प्रतिशत के बीच रहा जबकि सहायक कर्मचारियों से संबन्धित खाली पद 27.78 प्रतिशत से 30.05 प्रतिशत के बीच था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2024) विभाग ने उत्तर (मई 2025) दिया कि नए पदों को स्वीकृत कर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को अग्रेषित किया जा रहा है।

विभाग के उत्तर में कार्यरत पदों के समक्ष खाली पदों के बारे में संबोधित नहीं किया गया।

3.8.5 कर प्राधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा में विलंब/आंतरिक लेखापरीक्षा शुरू नहीं करना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के अनुसार, आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी एक साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी पंजीकृत व्यक्ति की ऐसी अवधि, ऐसी आवृत्ति और ऐसी रीति जो निर्धारित की जाए, संपरीक्षा कर सकता है। सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2(13) में परिभाषित "संपरीक्षा" से तात्पर्य किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा बनाए गए अथवा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों, विवरणियों और अन्य दस्तावेजों की परीक्षा से है जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन घोषित टर्नओवर, निष्पादित कर भुगतान, दावा कृत प्रतिदाय और उपभोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की शुद्धता की जाँच एवं इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन का आंकलन करने हेतु किया जाता है।

विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी से लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान विभाग ने कोई संपरीक्षा नहीं किया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2024) सचिव ने उत्तर दिया (मई 2025) कि विभाग में उच्च जोखिम वाले करदाता जिसकी आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा संपरीक्षा की जाएगी, की विस्तृत जाँच हेतु नकली करदाता सेल (एनजीटीपी) मार्च 2024 में स्थापित की जा चुकी है।

अनुशंसा क्रमांक 2: विभाग प्रकरणों के कालवाधित होने से पहले एक निश्चित समयावधि में संपरीक्षा की प्रक्रिया को सुनिश्चित कर सकता है।

3.9 केंद्रीकृत/सीमित लेखापरीक्षा

जीएसटी विवरणियों में विसंगतियाँ

जीएसटी विवरणियों¹⁶/ऑकड़ों के बीच के विचलनों, विसंगतियों और भिन्नताओं की पहचान करने के उद्देश्य से जो सामान्य करदाताओं पर लागू होने वाले निर्धारित 13 जीएसटी विवरणियों में से सात¹⁷ मूलभूत विवरणियों जो सामान्य करदाताओं पर लागू होते हैं, पर विचार किया गया था।

¹⁶ 1. जीएसटीआर 1 2. जीएसटीआर 3बी 3. जीएसटीआर 4 (कंपोजीसन स्कीम के तहत करदाता) 4. जीएसटीआर 5 (अप्रवासी करयोग्य व्यक्ति) 5. जीएसटीआर 5ए (अप्रवासी ओआइडीएआर सेवा प्रदाता) 6. जीएसटीआर 6 (इनपुट सेवा वितरक) 7. जीएसटीआर 7 (टीडीएस काटनेवाले करदाता) 8. जीएसटीआर 8 (ई-कॉमर्स अपरेटर) 9. जीएसटीआर 9 (वार्षिक विवरणी) 10. जीएसटीआर 10 (अंतिम विवरणी) 11. जीएसटीआर 11 (यूआइएन वाले व्यक्ति जिन्होंने प्रतिदाय का दावा किया है) 12. सीएमपी 08 13. आईटीसी 04 (प्रिन्सिपल/जॉब वर्कर के द्वारा दाखिल किया जाने वाला विवरण जो जॉब वर्कर से निर्गत/प्राप्त माल का विस्तृत व्यौरा होता है)

¹⁷ 1. जीएसटीआर 1 (वस्तु एवं सेवा कर की जावक आपूर्तियों के लिए मासिक विवरणी) 2. जीएसटीआर 3बी (मासिक सारांश विवरणी) 3. जीएसटीआर 6 (इनपुट सेवा वितरक) 4. जीएसटीआर 8 (ई-कॉमर्स अपरेटर) 5. जीएसटीआर 9 (वार्षिक विवरणी) 6. जीएसटीआर 9सी (वार्षिक विवरणी और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के मध्य समायोजन विवरण) 7. जीएसटीआर 2ए (प्रणाली द्वारा स्वतः तैयार आवक आपूर्तियाँ)।

लेखापरीक्षा ने जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए अप्रैल 2018 से मार्च 2021 तक के जीएसटी विवरणी आँकड़ों का विश्लेषण किया। करदाताओं द्वारा दाखिल जीएसटी विवरणियों में नियम आधारित विचलनों और तार्किक विसंगतियों की पहचान, 17 लेखापरीक्षा आयामों के एक समूह पर की गई थी जिन्हें मुख्यतः दो क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है जैसे आईटीसी एवं कर भुगतान जैसे कि **तालिका 3.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.4—किए गए आँकड़ों के विश्लेषण का विवरण

आयाम क्र.	प्रयुक्त कलन विधि	संभावित जोखिम	कार्यक्षेत्र
1	सभी संशोधनों के साथ जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी की तुलना जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए (5) (घरेलू आपूर्ति पर उपाजित) में लिए गए आईटीसी जिसमें तालिका 4बी(2) में रिवर्सल को ध्यान में रखते हुए लेकिन अगले वर्ष के जीएसटीआर-9 की तालिका 8सी में उपलब्ध आईटीसी और प्रतिबंधित क्रेडिट से की गई थी।	जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के मध्य आईटीसी भिन्नता	आईटीसी
2	जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध आईटीसी की तुलना जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए से की गई थी जो जीएसटीआर-2ए (स्वतः भरा हुआ जिसे बदला नहीं जा सकता) में उपलब्ध आईटीसी को दर्शाता है लेकिन जीएसटीआर-2ए में उन प्रविष्टियों को शामिल नहीं करता है जिसमें आपूर्तिकर्ता करदाता ने नियत तिथि तक जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं किया है और उस आईटीसी को भी शामिल नहीं करता है जिस अवधि में प्राप्तकर्ता करदाता कम्पोजिसन स्कीम में था।	आपूर्तिकर्ता करदाता के कर जमा किए बिना आईटीसी दिया गया	आईटीसी
3	2018-19 से 2020-21 की अवधि से संबन्धित जीएसटीआर-3बी जो अगले वर्ष अक्टूबर के बाद दाखिल किए गए, की तालिका 4 के माध्यम से लिया गया आईटीसी।	नियत अवधि के बाद दाखिल किए गए जीएसटीआर-3बी में लिया गया आईटीसी।	आईटीसी
4	प्राप्तकर्ता करदाता के जीएसटीआर-9 की तालिका 6जी या जीएसटीआर-3बी की तालिका 4(ए)4 में लिए गए आईटीसी की तुलना वितरक जीएसटीआईएन के जीएसटीआर-6 की तालिका 5ए, तालिका 8ए और तालिका 9ए के योग से की गई थी।	आईएसडी क्रेडिट का गलत लिया जाना।	आईटीसी
5	रिवर्स चार्ज मेकनिज्म (आरसीएम) के तहत जीएसटीआर-9 की तालिका 4जी में कर देयता के भुगतान की तुलना जीएसटीआर 9 की तालिका 6सी, 6डी एवं 6एफ में लिए गए आईटीसी से की गई थी। ऐसे प्रकरणों जिनमें जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर 3बी की तालिका 3.1(डी) में आरसीएम के तहत भुगतान को जीएसटीआर-3बी तालिका 4(ए)(2) और 4(ए)3 में लिए गए आईटीसी से किया गया। जहां पर जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-3बी उपलब्ध थे वहाँ उनके अंतर में जो ज्यादा था उसे लिया गया।	जीएसटीआर-3बी / जीएसटीआर-9 में आरसीएम के तहत कर के कम भुगतान बनाम लिए गए आईटीसी	कर एवं ब्याज भुगतान
6	जीएसटीआर-9सी की तालिका 12एफ में धनात्मक राशि और भिन्नता के लिए तालिका 13 में दिये गए कारणों की जाँच	वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों में लिए गए आईटीसी में भिन्नता	वार्षिक विवरणी एवं वित्तीय विवरण
7	जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी में धनात्मक राशि और भिन्नता के लिए तालिका 15 में दिये गए कारणों की जाँच	वार्षिक विवरणी में लिए गए आईटीसी के साथ वित्तीय विवरण का मिलान	वार्षिक विवरणी एवं वित्तीय विवरण

आयाम क्र.	प्रयुक्त कलन विधि	संभावित जोखिम	कार्यक्षेत्र
8	अग्रिमों और संसोधनों पर विचार करते हुए, जीएसटीआर-1 (तालिकाएं 4 से 11) और जीएसटीआर-9 (तालिकाएं 4एन, 10 और 11) के बीच की कर देयता जो ज्यादा है, की तुलना जीएसटीआर-3बी की तालिकाएं 3.1(ए) और 3.1(बी) में किए गए कर भुगतान से किया गया। ऐसे प्रकरणों जिनमें जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर-3बी में किए गए कर भुगतान की तुलना जीएसटीआर-1 की देयता से की गई।	अनिर्वाहित देनदारियाँ	कर एवं ब्याज भुगतान
9	जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.1(ए)(बी) की तुलना ई-वे बिल में घोषित कर देयता से की गई और ऐसे प्रकरणों जिनमें जीएसटीआर-3बी, ई-वे बिल से कम था की पहचान की गई।	ई-वे बिल सत्यापन के आधार पर कर देयता का निग्रहण	कर एवं ब्याज भुगतान
10	जीएसटीआर-9सी की तालिका 9आर में ऋणात्मक राशि और भिन्नता के लिए तालिका 10 में दिये गए कारणों की जाँच	खाता पुस्तकों और विवरणियों में किए गए कर भुगतान में भिन्नता	वार्षिक विवरणी एवं वित्तीय विवरण
11	कम्पोजीसन लेवी योजना करदाता जिनका अखिल भारतीय आधार पर (केंद्र एवं राज्य क्षेत्राधिकार) व्यापार एक ही पैन के सभी जीएसटीआईएन के तहत 2018-19 में ₹ 1.0 करोड़ एवं 2019-20 में ₹ 1.5 करोड़ टर्नओवर की सीमा पार कर चुका हो, की पहचान की गई।	अपात्र कम्पोजीसन लेवी योजना करदाता	कर एवं ब्याज भुगतान
12	जब टीसीएस प्रावधान प्रभावी हुए तब 1 अक्टूबर 2018 से ई-कामर्स जीएसटीआर-8 प्रभावी हो गया। जीएसटीआर-8 में घोषित जीएसटीआईएन जो कम्पोजीसन लेवी योजना के तहत जीएसटीआर-4/सीएमपी-08 भी दाखिल कर रहे हैं।	कम्पोजीसन लेवी योजना वाले करदाता भी ई-कामर्स सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।	कर एवं ब्याज भुगतान
13	करदाता जिन्होंने जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया लेकिन जीएसटीआर-1 दाखिल किया है या जहां पर जीएसटीआर-2ए उपलब्ध है, संकेत देता है कि करदाताओं द्वारा कर के निर्वाहन किये बिना व्यवसाय किया जा रहा है।	जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है।	कर एवं ब्याज भुगतान
14	जीएसटीआर-3बी में घोषित ब्याज की तुलना में जीएसटीआर-3बी के विलंबित दाखिले पर कर के भुगतान के नकद भाग पर ब्याज की गणना 18 प्रतिशत से की गई।	ब्याज का कम भुगतान	कर एवं ब्याज भुगतान
15	जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.1(ए) की तुलना जीएसटीआर-2ए की तालिका 9 के कालम 6 से की गई। जिन प्रकरणों में जीएसटीआर-3बी की राशि जीएसटीआर-2ए से कम थी उनकी पहचान की गई।	टीडीएस विवरणियों की तुलना में कर योग्य आपूर्तियों की मात्रा की कम घोषणा	टर्नओवर की भिन्नता
16	वर्ष के प्रारम्भ में जीएसटीआर-9सी की तालिका 5बी में बिलरहित राजस्व से पूर्व वर्ष के जीएसटीआर-9सी की तालिका 5एच के बिलरहित राजस्व के बराबर होना चाहिए था। कोई भी भिन्नता टर्नओवर में की गई कमी को दर्शाता है।	बिलरहित राजस्व के आधार पर जीएसटीआर-9सी में कर योग्य टर्नओवर को कम करके घोषित करना।	टर्नओवर की भिन्नता
17	जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में ऋणात्मक राशि और भिन्नता के लिए तालिका 8 में दिये गए कारणों की जाँच	जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में भिन्नता।	टर्नओवर की भिन्नता

₹ 14,045.80 करोड़ की राशि के साथ डेटा विश्लेषण के द्वारा दर्शाए गए 641 विचलनों को **परिशिष्ट 3.7** में संक्षेपित किया गया है।

3.9.1 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा की टिप्पणी के ऊपर विभाग से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर अनुपालन विचलन में अनुवादित 17 आयामों में से प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा सारांश

641 प्रकरणों के विचलनों/विसंगतियों में से विभाग ने सभी 641 कमियों (100 प्रतिशत) का उत्तर प्रस्तुत किया जिनमें 582 प्रकरण जिनमें ₹ 1,670.10 करोड़ कर का कम आरोपण एवं 59 प्रकरण जिनमें ₹ 12,375.70 करोड़ टर्नओवर में भिन्नता थी, शामिल थे (**परिशिष्ट-3.8(ए) और 3.8(बी) में कालम संख्या 2 और 3**)। कर के कम आरोपण वाले इन 582 प्रकरणों में से 177 प्रकरण (**परिशिष्ट-3.8(ए) में कालम संख्या 4, 6 और 8**) ₹ 273.32 करोड़ राशि की अनुपालन कमियों वाले थे जिन्हें विभाग द्वारा स्वीकार किया गया। इन 177 प्रकरणों में से 30 प्रकरणों में ₹ 2.46 करोड़ की राशि की वसूली की जा चुकी है (**परिशिष्ट-3.8(ए) की कालम संख्या 4 और 5, परिशिष्ट-3.9**)। 141 प्रकरणों में कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किए जा चुके हैं जिनमें ₹ 264.28 करोड़ की राशि (**परिशिष्ट-3.8(ए) की कालम संख्या 6 और 7, परिशिष्ट-3.10**) के विचलन थे। छह प्रकरणों में ₹ 6.58 करोड़ की राशि हेतु एसएमटी10 जारी किए गए थे (**परिशिष्ट-3.8(ए) की कालम संख्या 8 और 9, परिशिष्ट-3.11**)।

आईटीसी लेने, आपूर्तिकर्ता करदाता के कर का प्रेषण किए बिना आईटीसी लेने, अनिर्वहित कर देयता और जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं करने में अपेक्षाकृत उच्च दर पर अनुपालन कमियाँ देखी गईं।

340 प्रकरणों में से (**परिशिष्ट-3.8(ए) की कालम संख्या 12, 14 और 16**), जिनमें विभाग के उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य थे; 39 प्रकरणों में करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ की गईं (**परिशिष्ट-3.8(ए) की कालम संख्या 12**); 45 प्रकरणों में विभाग द्वारा सक्रिय कार्यवाई की गईं (**परिशिष्ट-3.8(ए) की कालम संख्या 14**) और 256 प्रकरणों में (**परिशिष्ट-3.8(ए) की कालम संख्या 16**) अन्य वैध स्पष्टीकरण थे।

विवरणियों की जाँच, उपलब्ध परिपत्रों, अधिसूचनाओं और जीएसटी काउंसिल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर लेखापरीक्षा ने (**परिशिष्ट-3.8(ए) की कालम संख्या 18 और 19**) 56 प्रकरणों में क्वेरी को विलोपित कर दिया।

नौ प्रकरणों में (**परिशिष्ट-3.8(ए) की कालम संख्या 10**) विभाग के उत्तर बिना किसी प्रासंगिक स्पष्टीकरण के प्रदान किए गए थे।

इसी तरह, लेखापरीक्षा ने 59 प्रकरणों (**परिशिष्ट-3.8(बी) की कालम संख्या 6, 12, 14 और 16**) में टर्नओवर से संबंधित भिन्नताओं (**परिशिष्ट-3.8(बी)**) को देखा। इनमें से सात प्रकरणों में ₹ 6.58 करोड़ की राशि अनुपालन कमियाँ थी जिनके लिए विभाग (**परिशिष्ट-3.8(बी) की कालम संख्या 6, परिशिष्ट-3.10**) द्वारा एससीएन जारी किए गए हैं, चार प्रकरणों में करदाताओं (**परिशिष्ट-3.8(बी) की कालम संख्या 12**) द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ की गई थीं, दो प्रकरणों में विभाग सक्रिय कार्यवाई (**परिशिष्ट-3.8(बी) की कालम संख्या 14**) किया था और 46 प्रकरणों में विभाग अन्य वैध स्पष्टीकरण (**परिशिष्ट-3.8(बी) की कालम संख्या 16**) प्रदान किया था।

कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणात्मक प्रकरण जिनमें वसूली की गई थी या एससीएन जारी किया गया था उनमें नीचे चर्चा किया गया है।

- (i) जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के मध्य आईटीसी की भिन्नता (आयाम 1)

लेखापरीक्षा ने वृत्त-4, दुर्ग के एक प्रकरण में जिसका जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXX XX1Z8 था, पाया कि उसके जीएसटीआर 2ए में आईटीसी ₹ 4.70 करोड़ था और जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए(5) में लिया गया आईटीसी ₹ 37.34 करोड़ था। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2019-20 में लिए गए आईटीसी की राशि में ₹ 32.64 करोड़ की भिन्नता थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जून 2023) विभाग ने (मई 2025) उत्तर दिया कि ब्याज और दंड सहित ₹ 63.87 करोड़ की माँग हेतु डीआरसी 07 अर्थात् मूल-आदेश (ओआईओ) जारी (अगस्त 2024) किया गया। इस बाबत आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

(ii) आपूर्तिकर्ता करदाता के कर का प्रेषण किए बिना आईटीसी हस्तांतरण करना (आयाम 2)

लेखापरीक्षा ने वृत्त-2, बिलासपुर के एक प्रकरण में जिसका जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXX1ZI था, पाया कि उसके जीएसटीआर 2ए में ₹ 60.55 करोड़ आईटीसी उपलब्ध था और जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए में ₹ 52.35 करोड़ आईटीसी परिलक्षित हो रहा था। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2019-20 में लिए गए आईटीसी की राशि में ₹ 8.21 करोड़ की भिन्नता थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जून 2023) विभाग ने (मई 2025) उत्तर दिया कि ₹ 2.94 करोड़ की माँग हेतु डीआरसी-07 अर्थात् (ओआईओ) जारी (अगस्त 2024) किया जाना, ब्याज और शास्ति को शामिल किये जाने की पुष्टि करता है। इस बाबत आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

(iii) कट-आफ अवधि के बाद दाखिल जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी (आयाम 3)

लेखापरीक्षा ने वृत्त-1, कोरबा के एक प्रकरण में जिसका जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXX XXX1Z1 था, पाया कि अगले वर्ष के सितंबर के जीएसटीआर 3बी विवरणी के दाखिले की नियत तिथि के बाद करदाता द्वारा लिया गया आईटीसी ₹ 1.21 करोड़ था। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2019-20 में लिए गए आईटीसी की राशि में ₹ 1.21 करोड़ की भिन्नता थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जून 2023) विभाग ने (मई 2025) उत्तर दिया कि ब्याज और दंड सहित ₹ 2.79 करोड़ की माँग की पुष्टि करता हुआ डीआरसी 07 (ओआईओ) जारी (अगस्त 2024) किया गया। इस बाबत आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

(iv) आईएसडी क्रेडिट का गलत लाभ लेना (आयाम 4)

लेखापरीक्षा ने वृत्त-2 कोरबा के एक प्रकरण में जिसका जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXX XXX1ZM था, पाया कि जीएसटीआर 9 की तालिका 6जी में लिया गया आईटीसी ₹ 0.20 करोड़ था और उसके जीएसटीआर 6 की तालिका (5ए+8ए+9ए) में आईएसडी द्वारा स्थानांतरित आईटीसी ₹ 0.05 करोड़ था। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2019-20 में लिए गए आईटीसी की राशि में ₹ 0.15 करोड़ की भिन्नता थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जून 2023) विभाग ने (मई 2025) उत्तर दिया कि ब्याज और दंड सहित ₹ 0.27 करोड़ के लिए डीआरसी 07 (एससीएन) जारी (मई 2024) किया गया है। इस बाबत आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

(v) जीएसटीआर-3बी/जीएसटीआर-9 में आरसीएम के तहत लिया गया आईटीसी बनाम कर का कम भुगतान (आयाम 5)

लेखापरीक्षा ने वृत्त-5, रायपुर के एक प्रकरण में जिसका जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXX XXX1Z1 था, पाया कि जीएसटीआर 9 की तालिका 4जी में लिया गया आईटीसी ₹ 1.12 करोड़ था और उसके जीएसटीआर 9 की तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में लिया गया आईटीसी ₹ 6.30 करोड़ था। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2020-21 में लिए गए आईटीसी की राशि में ₹ 5.18 करोड़ की भिन्नता थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जून 2023) विभाग ने (मई 2025) उत्तर दिया कि ब्याज और दंड सहित ₹ 14.23 करोड़ के लिए करदाता को डीआरसी-01 (एससीएन) जारी (दिसम्बर 2024) किया गया था। इस बाबत आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

(vi) असमाधानित देनदारियाँ (आयाम 8)

लेखापरीक्षा ने वृत्त-5, रायपुर के क्षेत्राधिकार वाले एक करदाता जिसका जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXXX1ZA था, के प्रकरण में पाया कि जीएसटीआर 1 की तालिका 4 से 11 में कर देयता ₹ 19.05 करोड़ थी और उसके जीएसटीआर 3बी की तालिका 6.1 में भुगतान किया गया कर ₹ 13.40 करोड़ था। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2019-20 में कर देयता में ₹ 5.65 करोड़ की भिन्नता थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2023) विभाग ने (मई 2025) उत्तर दिया कि डीआरसी-13 जारी किया जा चुका है। इस बाबत आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

(vii) ई-वे बिल के सत्यापन के आधार पर कर देयता का संकुचन (आयाम 9)

लेखापरीक्षा ने वृत्त-1, रायगढ़ के एक प्रकरण में जिसका जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXX XXXX1ZF था, पाया कि जीएसटीआर 3बी की तालिका 3.1(ए) और 3.1(बी) के अनुसार देय कर ₹ 13.78 करोड़ था और ई-वे बिल के अनुसार कर देनदारी ₹ 21.29 करोड़ थी। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2018-19 में कर देनदारी में ₹ 7.51 करोड़ की भिन्नता थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जुलाई 2023) विभाग ने (मई 2025) उत्तर दिया कि ब्याज और दंड सहित ₹ 15.01 करोड़ की माँग हेतु डीआरसी 07 (ओआईओ) जारी (अप्रैल 2024) किया गया। इस बाबत आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

(viii) कम्पोजीसन करदाता भी ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ ले रहे हैं (आयाम 12)

लेखापरीक्षा ने वृत्त-3¹⁸, रायपुर के एक प्रकरण में जिसका जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXX XXXX1ZO था, पाया कि वित्त वर्ष 2020-21 कम्पोजीसन टर्नओवर ₹ 0.11 करोड़ था जबकि जीएसटीआर 9 में घोषित कुल राशि ₹ 0.32 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जुलाई 2023) विभाग ने (मई 2025) उत्तर दिया कि डीआरसी 07 (ओआईओ) करदाता को जारी (फरवरी 2025) किया गया है। इस बाबत आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

(ix) जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया परंतु जीएसटीआर-1 उपलब्ध था (आयाम 13)

लेखापरीक्षा ने वृत्त-1, कोरबा के क्षेत्राधिकार वाले एक करदाता जिसका जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXXX2ZQ था, के प्रकरण में पाया कि 2018-19 के दौरान उसने जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं किया है लेकिन जीएसटीआर 1 दाखिल किया है।

¹⁸ वृत्तों के पुनर्गठन के कारण वर्तमान में करदाता वृत्त-10, रायपुर के अधिकार क्षेत्र में है।

जीएसटीआर 2ए उपलब्ध था। जीएसटीआर 3बी वह साधन है जिसके माध्यम से कर देयता का निर्वहन किया जाता है तथा आईटीसी का लाभ लिया जाता है। जीएसटीआर 1 एवं 2ए की उपलब्धता तथा जीएसटीआर 3बी का दाखिल नहीं किया जाना, यह संकेत देता है कि करदाता ने पूरी अवधि के दौरान व्यवसाय किया था परंतु कर देयता का निर्वहन नहीं किया था। अतः इस प्रकरण में आईटीसी के अनियमित हस्तांतरण से इंकार नहीं किया जा सकता।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जुलाई 2023) विभाग ने (मई 2025) उत्तर दिया कि डीआरसी 13 जारी (जनवरी 2025) किया जा चुका है। इस बाबत आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

(x) ब्याज का कम भुगतान (आयाम 14)

लेखापरीक्षा ने वृत्त-1, कोरबा के एक प्रकरण में जिसका जीएसटीआईएन 22XXXXXX XXXX1ZI था, पाया कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान जीएसटीआर 3बी के विलंबित दाखिले के कारण ₹ 0.50 करोड़ ब्याज की राशि का कम भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जुलाई 2023) विभाग ने (मई 2025) उत्तर दिया कि डीआरसी 07 जारी किया गया है। इस बाबत आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

(xi) टीडीएस विवरणियों की तुलना में करयोग्य आपूर्तियों की कम मात्रा की घोषणा (आयाम 15)

लेखापरीक्षा ने वृत्त-3¹⁹, रायपुर के क्षेत्राधिकार वाले एक करदाता जिसका जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXX1ZV था, के प्रकरण में पाया कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटीआर-7 के अनुसार टीडीएस/टीसीएस पर वसूली गई राशि ₹ 4.90 करोड़ थी जबकि जीएसटीआर 2ए के अनुसार वसूली गई शुद्ध टीडीएस की राशि ₹ 0.10 करोड़ थी। यद्यपि, जीएसटीआर 3बी के अनुसार करयोग्य आपूर्तियाँ शून्य थी जो करदाता द्वारा ₹ 4.90 करोड़ कम मूल्य की घोषणा को इंगित करता है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जुलाई 2023) विभाग ने (मई 2025) उत्तर दिया कि ब्याज और दंड सहित ₹ 9.16 करोड़ की राशि के लिए करदाता को डीआरसी 07 जारी (अगस्त 2024) किया गया है। इस बाबत आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

(xii) जीएसटीआर-9सी में घोषित बिना बिल के राजस्व के आधार पर करयोग्य राशि का संकुचन (आयाम 16)

लेखापरीक्षा ने वृत्त-2, रायपुर के क्षेत्राधिकार वाले एक करदाता जिसका जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXX1ZT था, के प्रकरण में पाया कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वित्त वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर बिना बिल का राजस्व ₹ 7.50 करोड़ था जबकि वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत में बिना बिल का राजस्व शून्य था जिससे करदाता द्वारा ₹ 7.50 करोड़ की राशि का विचलन था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जून 2023) विभाग ने (मई 2025) उत्तर दिया कि ₹ 1.36 करोड़ की राशि के लिए करदाता को डीआरसी 07 जारी (जनवरी 2025) किया गया है। इस बाबत आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

3.9.2 आंकड़ों की भिन्नताएँ/विचलनों पर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य विभाग की प्रतिक्रियाएँ

¹⁹ वृत्तों के पुनर्गठन के कारण वर्तमान में करदाता वृत्त-10, रायपुर के अधिकार क्षेत्र में है।

विचलनों/विसंगतियों वाले प्रकरणों के ऊपर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य विभाग की प्रतिक्रियाएँ जो डेटा प्रविष्टि त्रुटियों, लेखापरीक्षा के क्वेरी से पूर्व की गई कार्यवाही और अन्य वैध स्पष्टीकरण से संबन्धित थीं। इनका ब्यौरा **तालिका 3.5** में है।

तालिका 3.5—विचलन के ऊपर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य विभाग की प्रतिक्रिया का विवरण

स. क्र.	विचलन	प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों का प्रतिशत	शामिल राशि (₹ करोड़ में)
1	डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ	43	6.71	2,539.77
2	लेखापरीक्षा के क्वेरी से पूर्व की गई कार्यवाही	47	7.33	56.93
3	अन्य वैध स्पष्टीकरण	302	47.11	10,965.09
	कुल	392		13,561.79

3.9.2.1 स्पष्टीकरण के बिना अन्य प्रकरण

विभाग ने 641 प्रकरणों में से राशि ₹ 79.95 करोड़ के नौ प्रकरणों (1.40 प्रतिशत) में अपूर्ण उत्तर दिया। उत्तर अस्पष्ट था क्योंकि फर्म अस्तित्व में नहीं था, एनसीएलटी²⁰ में परिसमापन की प्रक्रिया चल रही है और वृत्त अधिकारियों की कार्यवाही भी चल रही है, टर्नओवर के आधार पर प्रकरण उपायुक्त को स्थानांतरित किया गया था इत्यादि। इन प्रकरणों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 3.12** में दिया गया है।

विभाग का उत्तर (मई 2025) अस्पष्ट था क्योंकि उत्तर के समर्थन में अवैध परिपत्र प्रस्तुत किया गया जबकि कुछ प्रकरणों में एएसएमटी-10 इत्यादि जारी करने के उपरांत उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

अनुशंसा क्रमांक 03: विभाग जीएसटीएन के परामर्श से डेटा प्रविष्टि त्रुटियों को रोकने, करदाता अनुपालन बढ़ाने और बेहतर जाँच की सुविधा हेतु जीएसटी विवरणियों में सत्यापन नियंत्रण लागू कर सकता है। विभाग विसंगतियों का पता लगाने एवं समय पर कार्यवाही करने हेतु उपयुक्त एल्गोरिद्म का भी उपयोग कर सकता है।

3.10 जीएसटी विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा

अखिल राज्य डेटा विश्लेषण के माध्यम से जीएसटी विवरणियों में विसंगतियों/विचलनों की पहचान करने के अलावा इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के भाग के रूप में जीएसटी विवरणियों की एक विस्तृत लेखापरीक्षा की गई। इस भाग के लिए 70 करदाताओं (210 प्रकरण) का एक जोखिम आधारित नमूना चयनित किया गया था। संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों, विसंगतियों/विचलनों एवं खतरों की पहचान के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली की शुरुआत में करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए जीएसटी विवरणियों एवं वित्तीय विवरणों जो कि जीएसटीआर 9सी का एक भाग है, और बैंक-एंड सिस्टम में उपलब्ध अन्य अभिलेखों की एक डेस्क समीक्षा करनी थी। डेस्क समीक्षा, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़ के कार्यालय में की गई। पहचान किए गए जोखिमों के कारणों का पता लगाने के लिए एवं करदाताओं द्वारा किए गए अनुपालनों के मूल्यांकन के लिए डेस्क समीक्षा के परिणाम के आधार पर राज्य कर विभाग के क्षेत्र संरचनाओं में करदाताओं से संबन्धित जरूरी अभिलेख जैसे वित्तीय लेजर, बीजकों आदि की माँग कर विस्तृत लेखापरीक्षा की गई।

विभाग ने अपने परिसर में लेखापरीक्षा हेतु जीएसटी पोर्टल पर राज्य कर विभाग के (बीओ वेब) एप्लिकेशन के माध्यम से लेखापरीक्षा को एक्सेस प्रदान किया। लेखापरीक्षा के दलों

²⁰ एनसीएलटी- नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल

ने विवरणियों के सत्यापन हेतु करदाताओं के चयनित नमूनों की विभिन्न विवरणियों को डाउनलोड किया।

कार्यक्षेत्र की सीमा (ग्रेनूलर अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण)

करदाताओं से संबन्धित विस्तृत (ग्रेनूलर) अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं करने के कारण लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र सीमित था। अभिलेखों की माँग और अनुवर्तन के बावजूद वृत्त कार्यालयों ने 70 चयनित करदाताओं में से 37 करदाताओं (52.86 प्रतिशत) (परिशिष्ट 3.1(सी) एवं 3.13) के विस्तृत अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया जिनमें आईटीसी में भिन्नता और कर देयता ₹ 429.62 करोड़ की राशि को जोखिम-आधारित पद्धति के द्वारा खोजा गया था। फलस्वरूप, लेखापरीक्षा करदाताओं द्वारा दाखिल की गई विवरणियों में उपलब्ध जानकारी तक सीमित था। क्षेत्राधिकार-वार अप्रस्तुत अभिलेखों का विवरण तालिका 3.6 में दिया गया है।

तालिका 3.6-अभिलेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना

स. क्र.	क्षेत्राधिकार	करदाताओं का नमूना	अभिलेख / जवाब प्रस्तुत नहीं करने वाले करदाताओं की संख्या
1	स०आ०, वृत्त-8, रायपुर	8	5
2	स०आ०, वृत्त-2, बिलासपुर	3	1
3	स०आ०, वृत्त-9, रायपुर	6	5
4	स०आ०, वृत्त-3, दुर्ग	4	4
5	स०आ०, वृत्त-4, रायपुर	4	2
6	स०आ०, वृत्त-1, रायपुर	4	1
7	स०आ०, वृत्त-3, रायपुर	9	5
8	स०आ०, वृत्त-7, रायपुर	9	7
9	स०आ०, वृत्त-2, जगदलपुर	3	2
10	स०आ०, वृत्त-1, बिलासपुर	2	2
11	स०आ०, वृत्त-3, बिलासपुर	1	1
12	स०आ०, वृत्त-2, दुर्ग	1	1
13	स०आ०, वृत्त-अम्बिकापुर	2	1
14	अन्य	14	-
कुल		70	37

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024) विभाग ने (मई 2025) उत्तर दिया कि सभी करदाताओं को जांच नोटिस या डीआरसी 01 जारी किया गया था। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2025)।

विभाग के उत्तर ने विस्तृत अभिलेखों की गैर-प्रस्तुति और दिए गए सुधारात्मक सुझाव को संबोधित नहीं किया।

विस्तृत लेखापरीक्षा के निष्कर्ष स्पष्ट अंतर के साथ ऐसे प्रकरणों से प्रकट हुए हैं, जिनमें विस्तृत अभिलेख प्रस्तुत किए गए या अन्य प्रकार से तीन उप-श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है जिनपर आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा ने 23 प्रकरणों में अनुपालन कमियाँ पाईं जिनमें ₹ 79.18 करोड़ का राजस्व निहितार्थ था। अपात्र या अत्यधिक आईटीसी का लिया जाना, आईटीसी का शून्य/कम रिवर्सल, कर का कम भुगतान और ब्याज का शून्य/कम भुगतान करना, मुख्य कारणात्मक कारक थे।

- विवरणियाँ
- आईटीसी का लाभ उठाना/उपयोग
- कर देयता का निर्वहन

3.11 विवरणियाँ

विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा में कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना, डेटा प्रविष्टि त्रुटियों, जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं किया जाना, इत्यादि पाए गए, जो नीचे दिये गए हैं:

(ए) ब्याज का शून्य/कम भुगतान

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 यह निर्धारित करती है कि इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है लेकिन निर्धारित अवधि में सरकार को कर अथवा उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है तो जिस अवधि के लिए कर अथवा उसका कोई भाग बकाया रहता है उस अवधि के लिए अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

लेखापरीक्षा ने चयनित 210 प्रकरणों में से 18 प्रकरणों (8.57 प्रतिशत) में पाया कि करदाताओं ने अपनी विवरणी विलंब से दाखिल की थी जिसके कारण करदेयता का भुगतान विलंब से हुआ और ₹ 1.80 करोड़ ब्याज का भुगतान नहीं किया गया (परिशिष्ट 3.14)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि एक प्रकरण में डीआरसी 01 जारी किया गया था, नौ प्रकरणों में डीआरसी 07 जारी किया गया, दो प्रकरण अपील में, पाँच प्रकरणों में विभाग के उत्तर की अभी भी प्रतीक्षा है और एक प्रकरण में विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ब्याज की गणना हेतु विभाग द्वारा गलत माह ध्यान में रखा गया। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2025)।

3.12 आईटीसी का लाभ/उपयोग

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16, करदाता को वस्तु/सेवाओं अथवा दोनों की किसी भी आपूर्ति पर आईटीसी का लाभ लेने की अनुमति प्रदान करती है जिसका उपयोग व्यवसाय के दौरान आगे करने का इरादा है।

अत्यधिक आईटीसी का लाभ लेने, आईटीसी का शून्य/कम वापसी (रिवर्सल) और असमायोजित आईटीसी से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष और विसंगतियाँ नीचे दी गई हैं:

(ए) अत्यधिक आईटीसी लिया जाना

I. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से चार प्रकरणों में (1.90 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि ग्रेनुलर अभिलेख प्रदान नहीं करने के कारण ₹ 20.38 करोड़ के आईटीसी लेने में पाई गई भिन्नताओं की विस्तृत जाँच नहीं की जा सकी (परिशिष्ट 3.15)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि दो प्रकरणों में एएसएमटी 10 जारी किया गया था, एक प्रकरण में डीआरसी-01 जारी किया गया था और एक प्रकरण में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)।

II. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से पाँच प्रकरणों में (2.38 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाताओं ने ₹ 35.89 करोड़ अधिक आईटीसी लिया था (परिशिष्ट 3.16)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि दो प्रकरणों में डीआरसी-01 जारी किया जा चुका है, एक प्रकरण में डीआरसी-07 जारी किया जा चुका है और अन्य दो प्रकरणों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)।

विभाग द्वारा स्वीकार्य एक प्रकरण उदाहरणस्वरूप नीचे दिया गया है:

वृत्त-1, बिलासपुर के अंतर्गत जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXX1Z8 वाले एक करदाता के प्रकरण में 2018-19 के लिए जीएसटीआर 2ए में आईटीसी की राशि ₹ 1.09 करोड़ थी परंतु उसी अवधि के लिए जीएसटीआर 3बी में ली गई आईटीसी की राशि ₹ 2.43 करोड़ थी। इस प्रकार, ₹ 1.34 करोड़ अधिक आईटीसी लिया गया।

(बी) जीएसटीआर 9 में समायोजन पश्चात असमायोजित आईटीसी

जीएसटीआर 2ए में उपलब्ध आईटीसी और जीएसटीआर 3बी में बाद की अवधियों में समायोजन पश्चात ली गई आईटीसी के अंतर को जीएसटीआर 9 की तालिका 8डी दर्शाती है। जीएसटीआर 9 की तालिका 8डी में ऋणात्मक राशि अत्यधिक आईटीसी लिए जाने को सूचित करती है।

I. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से 30 प्रकरणों में (14.28 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए (जीएसटीआर 2ए से प्राप्त राशि) और जीएसटीआर 9 की तालिका 8बी+8सी के मध्य लिए गए आईटीसी में ₹ 155.24 करोड़ की भिन्नता थी जिसकी विस्तृत जाँच ग्रेनुलर अभिलेखों की अप्रस्तुति के कारण नहीं की जा सकी (परिशिष्ट 3.17)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि तीन प्रकरणों में एएसएमटी 10, आठ प्रकरणों में डीआरसी-01, पाँच प्रकरणों में डीआरसी-07, पाँच प्रकरणों में एपीएल-01 जारी किया गया था और नौ प्रकरणों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)।

II. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से सात प्रकरणों में (3.33 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए (जीएसटीआर 2ए से प्राप्त राशि) और जीएसटीआर 9 की तालिका 8बी+8सी के मध्य ₹ 7.61 करोड़ अधिक आईटीसी लिया गया (परिशिष्ट 3.18)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि एक प्रकरण में डीआरसी-01 जारी किया जा चुका है, दो प्रकरणों में डीआरसी-07 जारी किया जा चुका है, एक प्रकरण प्रक्रियाधीन है और तीन प्रकरणों में विभाग के उत्तर की अभी भी प्रतीक्षा है। इस बावत आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

विभाग द्वारा स्वीकार्य एक प्रकरण उदाहरणस्वरूप नीचे दिया गया है:

वृत्त-1, बिलासपुर के अंतर्गत जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXX1Z8 वाले एक करदाता के प्रकरण में 2018-19 की अवधि के लिए जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए (जीएसटीआर 2ए से प्राप्त राशि) में आईटीसी की राशि ₹ 1.09 करोड़ थी परंतु उसी अवधि के लिए जीएसटीआर 9 की तालिका 8बी+8सी में लिए गए आईटीसी की राशि ₹ 1.62 करोड़ थी। इस प्रकार, ₹ 53.37 लाख अधिक आईटीसी लिया गया।

(सी) रिवर्स चार्ज मेकनिज्म के तहत अत्यधिक आईटीसी लिया जाना

आईटीसी की उपलब्धता/उपयोगिता की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए जीएसटीआर 3बी और वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 से संबंधित आकड़ों के समूहों की तुलना यह जाँच करने के लिए की गई कि क्या आरसीएम पर जो आईटीसी लिया गया वह भुगतान किए गए कर के अनुरूप सीमित किया गया था। जीएसटीआर 3बी की तालिका 3.1(डी) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर 9 की तालिका 6(सी), 6(डी) और 6(एफ) में लिए गए आईटीसी से करने की कार्यपद्धति अपनायी गई। ऐसे प्रकरणों जिनमें जीएसटीआर 9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर 3बी की तालिका 3.1(डी) में भुगतान किए गए कर के भाग की तुलना जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए(2) और 4ए(3) में उपलब्ध आईटीसी से करने, यह जाँच जीएसटीआर 3बी के अंतर्गत सीमित थी।

I. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से चार प्रकरणों में (1.90 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि आरसीएम के तहत ₹ 0.31 करोड़ अधिक आईटीसी लिया गया जिसकी विस्तृत जाँच ग्रेनुलर अभिलेखों की अप्रस्तुति के कारण नहीं की जा सकी (परिशिष्ट 3.19)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि चार प्रकरणों में क्रमशः डीआरसी-01, डीआरसी-07, एपीएल-01 और एएसएमटी 10 जारी किए जा चुके हैं। इस बावत आगे की कार्यवाई प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

II. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से तीन प्रकरणों में (1.43 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाताओं ने आरसीएम के तहत ₹ 0.55 करोड़ अधिक आईटीसी लिया (परिशिष्ट 3.20)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि एक प्रकरण में डीआरसी-07 जारी किया गया था, एक प्रकरण में एपीएल-01 और एक अन्य प्रकरण में विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा थी (जून 2025)।

विभाग द्वारा स्वीकार्य एक प्रकरण उदाहरणस्वरूप नीचे दिया गया है:

वृत्त-1, बिलासपुर के अंतर्गत जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXX1ZX वाले एक करदाता के प्रकरण में 2018-19 की अवधि के लिए आरसीएम के तहत ली गई आईटीसी ₹ 1.04 करोड़ थी परंतु उसी अवधि के लिए आरसीएम के तहत किए गए कर का भुगतान ₹ 51.93 लाख था। इस प्रकार, आरसीएम के तहत ₹ 51.91 लाख अधिक आईटीसी लिया गया।

(डी) विवरणियों में असमायोजित इनपुट टैक्स क्रेडिट

आकड़ें जीएसटीआर 9 की तालिका 6जे से लिए गए थे जहां जीएसटीआर 9 (जीएसटीआर 3बी में लिया गया आईटीसी) की तालिका 6ए में लिया गया आईटीसी, जीएसटीआर 9 की तालिका 6आई में उपलब्ध आईटीसी से ज्यादा था।

I. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से 17 प्रकरणों में (8.10 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 9 में लिए गए आईटीसी के मध्य ₹ 168.22 करोड़ की भिन्नता थी जिसकी विस्तृत जाँच ग्रेनुलर अभिलेखों की अप्रस्तुति के कारण नहीं की जा सकी (परिशिष्ट 3.21)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि छह प्रकरणों में डीआरसी-01 जारी किया जा चुका है, दो प्रकरणों में डीआरसी-07 जारी किया जा चुका है, छह प्रकरणों में एपीएल-01, एक प्रकरण में

एएसएमटी 10, एक प्रकरण में कारवाई प्रक्रियाधीन है और एक अन्य प्रकरण में विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा थी (जून 2025)।

II. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से दो प्रकरणों में (0.95 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 9 के मध्य ₹ 3.85 करोड़ अधिक आईटीसी लिया गया (परिशिष्ट 3.22)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि एक प्रकरण में एएसएमटी-10 जारी किया जा चुका है और एक प्रकरण में एपीएल-01 जारी किया जा चुका है। इस बावत आगे की कार्यवाई प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

विभाग द्वारा स्वीकार्य एक प्रकरण उदाहरणस्वरूप नीचे दिया गया है:

वृत्त-1, बिलासपुर के अंतर्गत जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXX1ZX वाले एक करदाता के प्रकरण में 2020-21 की अवधि के लिए जीएसटीआर 9 (जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए की राशि) की तालिका 6ए में घोषित आईटीसी ₹ 23.64 करोड़ था। परंतु उसी अवधि के लिए जीएसटीआर 9 की तालिका 6बी से 6एच में उपलब्ध आईटीसी ₹ 19.91 करोड़ था। इस प्रकार, ₹ 3.73 करोड़ अधिक आईटीसी लिया गया।

(इ) छूट प्राप्त और गैर-जीएसटी आपूर्तियों के लिए आईटीसी का शून्य/कम रिवर्सल

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(2) सह-पठित सीजीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 42 और 43 कहती है कि जब किसी पंजीकृत करदाता द्वारा वस्तु या सेवाओं या दोनों का उपयोग आंशिक रूप से शून्य-दर आपूर्ति को शामिल करते हुए करयोग्य आपूर्ति के लिए और आंशिक रूप से छूट प्राप्त आपूर्ति के लिए किया जाता है तो क्रेडिट की राशि इनपुट कर के उस हिस्से तक सीमित होगी जो शून्य-दर आपूर्ति को शामिल करते हुए करयोग्य आपूर्ति के लिए देय है।

एसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से नौ प्रकरणों में (4.28 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 23.54 करोड़ आईटीसी का शून्य/कम रिवर्सल किया गया जिसका लाभ निरंक दर/छूट प्राप्त आपूर्ति के लिए लिया गया था (परिशिष्ट 3.23 और 3.23(ए))।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि दो प्रकरणों में डीआरसी 07 जारी किया गया था, दो प्रकरणों में डीआरसी 01, दो प्रकरणों में एपीएल-01, एक प्रकरण प्रक्रियाधीन है और दो प्रकरणों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)।

(एफ) जीएसटीआर 9सी की तालिका 12(एफ) के अनुसार असमायोजित आईटीसी

लेखापरीक्षा ने जीएसटीआर 9सी की तालिका 12एफ जो लेखा-पुस्तकों (तालिका 12डी) में गणना किए गए कुल आईटीसी और जीएसटीआर 9 में घोषित आईटीसी के बीच के अंतर को पकड़ता है, की जांच की। लेखापरीक्षा ने इन राशियों की जाँच संबंधित विवरणियों से की जिसके निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

I. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से नौ प्रकरणों में (4.28 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण में लिए गए आईटीसी के मध्य ₹ 12.70 करोड़ की भिन्नता थी (परिशिष्ट 3.24)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (मार्च 2024 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि एक प्रकरण में डीआरसी-01, चार प्रकरणों में एपीएल-01, जारी किया गया था जबकि शेष चार प्रकरणों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)।

II. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से एक प्रकरण में (0.48 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि वृत्त-अंबिकापुर के अंतर्गत जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXX1ZU वाले एक करदाता के प्रकरण में 2019-20 की अवधि के लिए उसकी वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण में आईटीसी के मध्य ₹ 26.15 करोड़ भिन्नता थी (परिशिष्ट 3.24(ए))।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)।

(जी) जीएसटीआर 9सी की तालिका 14टी के अनुसार असमायोजित आईटीसी

जीएसटीआर 9सी की तालिका 14टी किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट्स, पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए खर्च की तुलना, लिए गए आईटीसी से करता है और तालिका 14टी में अपात्रता या अवरुद्ध क्रेडिट के कारण अत्यधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता को प्रमुखता से प्रदर्शित करता है।

एसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से एक प्रकरण में (0.48 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि वृत्त-4, दुर्ग के अंतर्गत जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXX2ZF वाले एक करदाता के प्रकरण में 2018-19 की अवधि के लिए उसकी वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण में आईटीसी के मध्य ₹ 3.16 लाख की भिन्नता थी।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)।

(एच) 180 दिनों के अंदर देय मूल्य के भुगतान पर आईटीसी का शून्य-रिवर्सल

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16(2)(डी) के तहत बनाए गए नियमानुसार अगर कोई प्राप्तकर्ता, वस्तु या सेवा या दोनों के आपूर्तिकर्ता को उसके बीजक जारी करने के 180 दिनों के अंदर भुगतान करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा लिए गए आईटीसी की राशि को उसके आउटपुट कर दायित्व में ब्याज के साथ जोड़ दिया जाएगा।

I. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से एक प्रकरण में (0.48 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि वृत्त-7, रायपुर के अंतर्गत जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXX1Z4 वाले एक करदाता के प्रकरण में 2019-20 और 2020-21 की अवधि के लिए ₹ 7.09 लाख आईटीसी का शून्य/कम रिवर्सल किया गया जिसका लाभ सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 37 का अनुपालन नहीं करते हुए लिया गया था।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)।

II. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से एक प्रकरण में (0.48 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि वृत्त-3, रायपुर के अंतर्गत जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXX1Z7 वाले एक करदाता के प्रकरण में 2019-20 की अवधि के ₹ 1.78 करोड़ आईटीसी का शून्य/कम रिवर्सल किया गया जिसका लाभ सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 37 का अनुपालन नहीं करते हुए लिया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (मार्च 2024), वृत्त कार्यालय ने उत्तर दिया कि लिया गया आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अप्रयुक्त पड़ा था।

वृत्त कार्यालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संबंधित धारा और नियम यह निर्धारित करते हैं कि आईटीसी की उपयोगिता और बीजक का भुगतान 180 दिनों के अंदर होना चाहिए, चाहे आईटीसी का उपयोग नहीं किया गया हो फिर भी प्रक्रियात्मक जरूरत हेतु करदाता द्वारा उसका रिवर्सल कर दिया जाना चाहिए।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)।

3.13 कर देयता का निर्वहन

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9, भारत धारा है जो मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर, उक्त अधिनियम की धारा 15 के तहत निर्धारित मूल्य पर और प्रत्येक अधिनियम यानी सीजीएसटी अधिनियम और सीजीजीएसटी अधिनियम के तहत ऐसे दर पर जो 20 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, वस्तु या सेवाओं या दोनों की राज्यातंगत सभी आपूर्तियों पर आरोपण एवं संग्रहण को अधिकृत करती है जिसे राज्य/केंद्र वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर अधिकतम 40 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी के आरोपण एवं संग्रहण का अधिकार केंद्र सरकार में निहित है।

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 की धारा 8 के तहत ऐसे वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर्राज्यीय एवं राज्यातंगत की आपूर्तियों पर एक उपकर लगाया जाता है जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं जैसे तंबाकू उत्पाद, मद्य पेय, सिगरेट, वाहन आदि। सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) एवं 9(4) और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5(3) एवं 5(4) में कुछ वस्तुओं या सेवाओं पर आरसीएम आधार पर कर आरोपित करने का प्रावधान है जिसमें आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।

कर देनदारियों के निर्वहन से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं भिन्नताएँ नीचे दी गई हैं:

(ए) आरसीएम को छोड़कर कर का कम भुगतान

दो विवरणियों, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 (तालिका 4एन-तालिका 4जी+तालिका 10-तालिका 11) में प्रदान की गई राशियों में बड़ी राशि पर आधारित कर देनदारियों की तुलना जीएसटीआर 9 (तालिका 9+तालिका 14-तालिका 4जी) में किए गए कर के वास्तविक भुगतान से की गई।

I. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से आठ प्रकरणों में (3.80 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि कर देयता और आरसीएम के अलावा भुगतान किए गए कर में ₹ 3.16 करोड़ की भिन्नता थी (परिशिष्ट 3.25)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि दो प्रकरणों में डीआरसी 07, दो प्रकरणों में डीआरसी 01, दो प्रकरणों एपीएल-01 जारी किए गए थे, एक प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं शेष एक प्रकरण में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित थी (जून 2025)।

II. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से चार प्रकरणों में (1.90 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने कर देयता से संबंधित ₹ 3.35 करोड़ राशि के कम भुगतान की अनुपालन विसंगतियाँ पायीं (परिशिष्ट 3.26)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि दो प्रकरणों में डीआरसी 07, जारी किया गया, एक प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं शेष एक प्रकरण में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)।

उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत्त-1, बिलासपुर के अंतर्गत जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXXX1ZX वाले करदाता के पास वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए ₹ 30.66 करोड़ की कर देयता (जीएसटीआर 9 की तालिका 4एन-4जी+10-11) और उसी अवधि के लिए ₹ 28.52 करोड़ के कर भुगतान (जीएसटीआर 9 की तालिका 9+तालिका 14-तालिका 4जी) के मध्य भिन्नता थी परिणामस्वरूप ₹ 2.14 करोड़ कर का कम भुगतान हुआ।

(बी) जीएसटीआर 9सी की तालिका 5आर में वार्षिक विवरणियों एवं वित्तीय विवरणों के मध्य असमायोजित कुल टर्नओवर

जीएसटीआर 9सी की तालिका 5आर, वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 में घोषित कर भुगतान एवं लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के मध्य समायोजन को दर्शाता है।

ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से तीन प्रकरणों में (1.43 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि विवरणी जीएसटीआर 9सी की तालिका 5आर एवं लेखा पुस्तकों के मध्य कुल टर्नओवर में ₹ 79.98 करोड़ की भिन्नता थी **(परिशिष्ट 3.27)**।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि एक प्रकरण में डीआरसी 01 जारी किया गया था और शेष दो प्रकरणों में विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा थी (जून 2025)।

(सी) वार्षिक विवरणियों एवं वित्तीय विवरणों के मध्य असमायोजित कर योग्य टर्नओवर जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी

जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी, वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 में घोषित कर योग्य टर्नओवर एवं लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के मध्य समायोजन को दर्शाता है।

ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से तीन प्रकरणों में (1.43 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि विवरणी जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी एवं लेखा पुस्तकों के मध्य कर योग्य टर्नओवर में ₹ 8.15 करोड़ राशि की भिन्नता थी **(परिशिष्ट 3.28)**।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि एक प्रकरण में डीआरसी-01, एक प्रकरण में एपीएल-01 और एक प्रकरण में डीआरसी-13 जारी किए गए थे।

(डी) वार्षिक विवरणियों एवं वित्तीय विवरणों के मध्य घोषित असमायोजित कर भुगतान (जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर)

जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर, वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 में घोषित कर भुगतान एवं लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के मध्य समायोजन को दर्शाता है।

ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

चयनित 210 प्रकरणों में से चार प्रकरणों में (1.90 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि जीएसटीआर 9सी की तालिका 9पी और 9क्यू एवं जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर में कर भुगतान में ₹ 3.25 करोड़ राशि की भिन्नता थी **(परिशिष्ट 3.29)**।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि दो प्रकरणों में डीआरसी 01 जारी किया गया था और शेष दो प्रकरणों में विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा थी (जून 2025)।

अनुशंसा क्रमांक 4: लेखापरीक्षा को ग्रेनूलर अभिलेख प्रदान करने हेतु राज्य कर विभाग के क्षेत्रीय संरचनाओं को आवश्यक निर्देश जारी करने की जरूरत है।

3.14 निष्कर्ष

जीएसटी भुगतान एवं विवरणियों के दाखिले पर विभाग की निगरानी नामक विषय केंद्रित अनुपालन लेखापरीक्षा, अनुपालन की सीमा एवं कर भुगतान और विवरणियों के दाखिले की निगरानी एवं विभागीय निरीक्षण कार्यों में प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन करने के उद्देश्य से की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा पहचाने गए उच्च दर वाले 641 डेटा विसंगतियों वाले प्रकरणों में विभाग ने सभी में उत्तर प्रस्तुत किया। इनमें से 184 प्रकरण जो कुल का 28.71 प्रतिशत हैं, उनमें ₹ 297.36 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ अनुपालन कमियाँ सामने आईं। विभाग ₹ 2.46 करोड़ की वसूली कर चुका है। अधिक आईटीसी लिए जाने, आपूर्तिकर्ता के कर जमा नहीं करने के बावजूद आईटीसी लिए जाने, कर देयता का निर्वहन नहीं करने और जीएसटीआर 3बी का दाखिला नहीं करने से संबन्धित अनुपालन में कमियाँ तुलनात्मक रूप से अधिक दर में पाई गईं। जबकि आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियाँ 6.71 प्रतिशत प्रकरणों में विसंगतियों का कारण बनीं और 7.33 प्रतिशत प्रकरणों में विभाग ने सक्रिय कार्यवाही कर ली थी।

जीएसटी विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा ने भी गैर-अनुपालन की घटनाओं को निर्दिष्ट किया। प्रारम्भ में 210 करदाताओं के नमूने में से 37 प्रकरणों में आवश्यक अभिलेख जैसे वित्तीय विवरण, जीएसटीआर 2ए एवं अन्य अपेक्षित आधारभूत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके चलते लेखापरीक्षा का दायरा काफी सीमित हो गया। ये प्रकरण लिए गए आईटीसी और किए गए कर भुगतान में पहचानी गई विसंगतियों के कारण ₹ 429.62 करोड़ राशि के संभावित जोखिम को दर्शाते हैं। 33 करदाताओं की विवरणियाँ/आधारभूत अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई और लेखापरीक्षा ने ₹ 79.18 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ 23 अनुपालन कमियाँ भी पायीं। विभाग ₹ 41.87 करोड़ राशि की वसूली कर चुका है। इनके मुख्य कारण अपात्र/अधिक आईटीसी का लेना, आईटीसी का शून्य/कम रिवर्सल, कर का कम भुगतान और ब्याज का शून्य/कम भुगतान थे।

ऐसे प्रकरणों में जिनमें उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया उनके समयबाधित होने से पहले विभाग को सुधारात्मक उपाय जरूर शुरू करने चाहिए। एक व्यवस्थित दृष्टिकोण से विभाग को विवरणियों के दाखिले करने, करदाता अनुपालन, पंजीयन निरस्तीकरण और त्रुटिकर्ताओं से बकाया की वसूली पर प्रभावी निगरानी स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए वृत्तों में संस्थागत तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

3.15 अनुशंसाओं का सारांश

1. विभाग अनिर्वहित कर देयता की जाँच हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंजीयन रद्द करने और उसपर की गई कार्यवाही की स्थिति की निगरानी कर सकता है।
2. विभाग प्रकरणों के कालबाधित होने से पहले एक निश्चित समयावधि में संपरीक्षा की प्रक्रिया को सुनिश्चित कर सकता है।

3. विभाग जीएसटीएन के परामर्श से डेटा प्रविष्टि त्रुटियों को रोकने, करदाता अनुपालन बढ़ाने और बेहतर जाँच की सुविधा हेतु जीएसटी विवरणियों में सत्यापन नियंत्रण लागू कर सकता है। विभाग विसंगतियों का पता लगाने हेतु उपयुक्त एल्गोरिद्म का भी उपयोग कर सकता है।
4. लेखापरीक्षा को ग्रेनूलर अभिलेख प्रदान करने के लिए राज्य कर विभाग को क्षेत्रीय संरचनाओं को आवश्यक निर्देश जारी करने की जरूरत है।

रायपुर
दिनांक : 16 फरवरी 2026


(मो. फ़ैज़ान नैय्यर)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 24 फरवरी 2026


(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक